कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

मो0–8986915854 ई मेल – ee.kh.tarapur.rwd2@gmail.com

पत्रांक 852 (अनु०)/तारापुर दिनांक 22/05/2024

प्रेषक,

ई0 विमल कुमार
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
बिहार ग्रमीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :– **शीर्ष NABARD Maintenance योजना** अंतर्गत तीन पथों में अनुरक्षण कार्य का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **शीर्ष NABARD Maintenance** अंतर्गत तीन पथों में अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार **रू०–8.19687 लाख** राशि की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जाए, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

22-5-24

ई0 विमल कुमार
कार्यपालक अभियंता

22/05/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

क्र0 सं0	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि						कुल अधियाचित राशि (लाख में)
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)						प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Kharagpur-Tarapur	Vodaphone Tower PMGSY Road to Nav Nirman prakhand sah anchal karyalay hote huye lagma tak path nirman kary	0.91926	1.09912	1.46208	1.85104	2.15178	7.48328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.98 Lacs Lt. No. 1781 dt. 29.05.2018	8.40000	Lt. No. 1781 dt. 29.05.2018	26.08.2019	0.91428	1.07330	1.25500	1.67680	0.00000	4.91938	4.91938
2	Kharagpur-Tarapur	Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary	0.54392	0.66498	1.19773	1.45402	1.93235	5.79300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.41 Lacs Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018	6.44000	Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018	10.01.2020	0.54388	0.65413	1.17016	0.00000	0.00000	2.36817	2.36817
3	Kharagpur-Tarapur	Barui Garhi PMGSY Road Dangri nadi par pul to Teghra Ratni tak path ka nirman kary	1.06220	1.27209	5.17115	2.11990	5.86175	15.48709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176.04 Lacs Lt. No. 3370 dt. 15.09.2020	15.49000	Lt. No. 3370 dt. 15.09.2020	07-06-2022	0.90932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90932	0.90932

8.19687

1. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं हैं।
3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार का
4. अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

22-5-24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

22/05/24

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,

Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto the month of May-2024

...ne of the Head :- NABARD Maint. Fund **Month:- April 2024**

Sl. No.	Name of Scheme	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	**Vodaphone Tower PMGSY Road to Nav Nirman prakhand sah anchal karyalay hote huye lagma tak path nirman kary**	**162.98 Lacs Lt. No. 1781 dt. 29.05.2018**	0.00000	Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the year ------------- in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.0000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for
	Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary	**103.41 Lacs Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018**		Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the year ------------- in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.0000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for
	Barui Garhi PMGSY Road Dangri nadi par pul to Teghra Ratni tak path ka nirman kary	**176.04 Lacs Lt. No. 3370 dt. 15.09.2020**		Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the year ------------- in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.0000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the
	Total -		**0.00000**	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for witch it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.

ii.Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.

iii. Construction materials have been tested.

iv. Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.

v. All other codal formatities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

i. Construction of Road Works.

ii. Construction of CD Works.

22/05/24

Divisional Account Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur

22.5.24

Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 - 3370 /पटना, दिनांक– 15/9/20

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के बरूई गढ़ही पी०एम०जी०एस०वाई० रोड डंगरी नदी पर पुल से तेघड़ा रतनी तक पथ का निर्माण कार्य, जिसकी लम्बाई 2.00 कि0 मी0 निर्माण कार्य की राशि रू0 160.55 लाख, एवं अनुरक्षण की राशि रु० 15.49 लाख अर्थात कुल राशि रू0 176.04 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के बरूई गढ़ही पी०एम०जी०एस०वाई० रोड डंगरी नदी पर पुल से तेघड़ा रतनी तक पथ का निर्माण कार्य, जिसकी लम्बाई 2.00 कि0 मी0 निर्माण कार्य की राशि रू0 160.55 लाख, एवं अनुरक्षण की राशि रु० 15.49 लाख अर्थात कुल राशि रू0 176.04 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतुं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 के पृ0 सं0–03/टि0 पर दिनांक 08.09.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 के पृ0 सं0–05/टि0 पर प्राप्त है।
10. ग्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

15/9/2020

कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3750 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0 03–177/2020 के पृ0 सं0–08/टि0 पर दिनांक 11-9-2020 को प्राप्त है।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।

17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

15/9/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 - 3370 /पटना, दिनांक– 15/9/20

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 - 3370 /पटना, दिनांक– 15/9/2

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–177/2020 - 3370 /पटना, दिनांक– 15/9/2

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पाँचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना,/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2020.
अपर सचिव